

Neutral Citation No.- 2026:AHC:15232

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट याचिका - बी संख्या - 3902 वर्ष 2025

कुँवर उदय सिंह @उदय सिंह

....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य

....प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के वकील
प्रतिवादी के वकील

: अभिलाषा सिंह, आशुतोष यादव, श्याम लाल
: सीएससी

न्यायालय संख्या - 55

माननीय चंद्र कुमार राय, न्यायमूर्ति।

1. इस न्यायालय के पूर्व आदेश के अनुपालन में, कार्यालय द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है कि यह रिट याचिका इस न्यायालय द्वारा विचारणीय है।
2. हमने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री आशुतोष यादव और राज्य-प्रतिवादियों के विद्वान अतिरिक्त सीएससी श्री एमएन मिश्रा की बात सुनी।
3. यह रिट याचिका निम्नलिखित राहतों के लिए दायर की गई है:-

"1. याचिकाकर्ता की माता द्वारा दिनांक 01.10.2003 को दिए गए अभ्यावेदन पर एक तर्कसंगत और सुविचारित आदेश द्वारा निर्धारित समयावधि के भीतर निर्णय लेने के लिए प्रतिवादी संख्या 02 को परमादेश के रूप में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए; और/या,

2. याचिकाकर्ता द्वारा दिनांक 15.12.2021 को दिए गए अभ्यावेदन पर एक तर्कसंगत और सुविचारित आदेश द्वारा निर्धारित समयावधि के भीतर निर्णय लेने के लिए प्रतिवादी संख्या 02 को निर्देश और आदेश देने हेतु परमादेश के रूप में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए।

4. इस न्यायालय ने विद्वान स्थायी वकील को इस मामले में निर्देश प्राप्त करने का निर्देश दिया।
5. राज्य द्वारा दायर व्यक्तिगत हलफनामे में, राजस्व बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा पारित दिनांक 24.12.2025 के आदेश की प्रति संलग्न है, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता द्वारा दायर अभ्यावेदन पर निर्णय लिया गया है, अतः इस मामले में आगे कोई कार्रवाई का कारण शेष नहीं है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

6. अतः यह रिट याचिका खारिज की जाती है।

21 जनवरी, 2026

(चंद्र कुमार राय, न्यायमूर्ति)

Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"